[illegible]/2011

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा ....वादी

<u>बनाम</u>

श्रीमती जायदा पत्नि अजीज जाति मुसलमान निवासी बिगोद तहसील माण्डलगढ ....प्रतिवादी

उपस्थित:-
लोकार सरकार नायब तहसीलदार बिजौलियां

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 177 रा0टि0एक्ट0

दिनांक 16.01.2018

:-निर्णय:-

वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है वादीगण ने एक नियमित राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्व प्रतिवादी इस न्यायालय में दिनांक 01.04.2011 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम तिलस्वा पटवार मण्डल तिलस्वा स्थित आराजी नं0 534/1 रकबा 1 बीघा भूमि प्रतिवादी के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजीयात में अवैध खनन कार्य किया जाकर कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तन किया जा रहा है प्रतिवादी ने खातेदारी अधिकार की शर्तो की पालना नही कर अवैध खनन कार्य कर शर्तो की उल्लघंना की है। पटवारी हल्का एंव खनिज विभाग बिजौलियां के खनि कार्य देशक द्वारा संयुक्त रुप से रिपोर्ट पेश करने पर वाद दिनांक 11.02.2011 को उत्पन्न हुआ। भूमि में कृषि कार्य न कर अकृषि में परिवर्तन करने से भूमि को खारिज कर बिलानाम सरकार अभिलिखित कराना फरमावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवाई गई।

प्रतिवादी की और से श्री गिरधारीलाल आचार्य अधिवक्ता ने अधिकार पत्र मय जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रतिवादी ने जवाब में अंकित किया कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी खातेदार है व उसी का कब्जा चला आ रहा है न तो वादग्रस्त भूमि पर खनन कार्य किया है न स्वरुप में परिवर्तन ही किया है। प्रतिवादी ने किसी से अनुबंध के आधार पर भीं खनन कार्य करने हेतु अनुमोदन नही किया है। प्रतिवादी ने वादी की खातेदारी भूमि का हक हटाने हेतु दोषी मानकर वादपत्र प्रस्तुत किया है यदि किसी ने प्रतिवादी की भूमि पर बीना उसकी जानकारी किये खनन कार्य किया है तो प्रतिवादी दोषी नही है प्रतिवादी की खातेदारी समाप्त नही की जा सकती है। प्रतिवादी को भूमि का मौका पर्चा बनाने हेतु प्रतिवादी को सुचित नही किया है। प्रतिवादीया लम्बे समय से भूमि पर नही गई है। दिनांक 11.02.2011 को कोई बिनायवाद उत्पन्न नही हुई है प्रतिवादीया की बिना जानकारी में आने दिये उसके पीठ पीछे से कोई रिपोर्ट तैयार कर दी तो ऐसी रिपोर्ट को प्रतिवादीया के विरुद्व नही पढा जा सकता। पटवारी हल्का व खनिज विभाग के कर्मचारी का खातेदार के पीठ पीछे नपती करने का कृत्य इस बात की पूष्ठी नही करता कि प्रतिवादीया ने ही खनन कार्य किया है इस प्रकार की रिपोर्ट तो किसी के भी विरुद्व तैयार की जा सकती है। अतः वादपत्र खारिज फरमाया जावे।

वादी ने वादपत्र के साथ मौका पर्चा, नक्शा ट्रेस, नकल जमाबंदी प्रस्तुत की है।

वादपत्र व प्रतिवादपत्र के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई।

भूमि का खनन कार्य कर भूमि ... जिम्मेवार
भूमि बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने योग्य है।

वाद बिन्दु नं0 2

आया कि प्रतिवादीया द्वारा वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का खनन कार्य नही किया गया है जिससे भूमि का कृषि स्वरुप नष्ट हुआ हो। यदि प्रतिवादीया की अनुपस्थिति में किसी के द्वारा खनन कार्य किया गया है तो वादीया उसके लिये ....जिम्मे प्रतिवादीया जिम्मेदार नही है।

मौखिक साक्ष्य में पी0डब्ल्यू 1 चैनसिंह पिता मोहनसिंह निवासी धाकडखेड़ी हाल ...गढ पटवारी तिलस्वा के बयान लिये गये। बयान में लिखवाया कि में पटवारी तिलस्वा के पद पर तैनात हुँ। आंज वास्ते शहादत जमाबंदी, नक्शा, खसरा साथ लाया हुँ ग्राम तिलस्वा की आराजी नं0 534/1 रकबा 1 बीघा भूमि जायदा पत्नि अजीज मुसलमान निवासी बीगोद के नाम दर्ज है। पत्रावली में सलंग्न पर्चा मौका दिनांक 11.02.2011 का खनिज विभाग द्वारा तैयार किया गया है जिस पर तत्कालिन पटवारी अयूब मोहम्मद जी के हस्ताक्षर है में हस्ताक्षरो को पहचानता हुँ। मौके पर "30x15x1/2" क्षेत्र में सेण्ड स्टोन निकाला जाकर कृषि के स्वरुप को बिगाडा है। मौका पर्चा ईएक्श–1 जमाबंदी, ईएक्श–2 नक्शा ट्रेस, एंव ईएक्श–3 मेरे द्वारा जिन्स गिरदावरी के दौरान खनन देखा गया। खनन कार्य किया गया है। जिरह में लिखवाया कि खनन कार्य मौका पर्चा से श्यामलाल पिता नाराण गुर्जर द्वारा किया गया है। खातेदार स्वयं ने खनन कार्य किया या नही में नही बता सकता। आज भी खनन का खड्डा मौजूद है।

शहादत प्रतिवादी में प्रतिवादी ने कोई साक्ष्य प्रस्ततु नही किया।

प्रतिवादी अधिवक्ता ने पैरवी से इन्कारी जाहिर करने से प्रतिवादी के विरुद्व एकपक्षिय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

बहस एकपक्षिय वादी पेरोकार सुनी गई।

पेरोकार ने वादपत्र में अंकित तथ्यों का जिक्र करते हुये बताया कि प्रतिवादी के नाम पर ग्राम तिलस्वा में आराजी नं0 534/1 रकबा 1 बीघा भूमि दर्ज है जिस पर खनन कार्य कर कृषि से अकृषि में परिवर्तन किया है। आवंटन शर्तो की उल्लंघन हुई है वादपत्र वादी स्वीकार फरमाते हुये बिलानाम सरकार अभिलिखित कराना फरमावें व अवैध खनन कार्य होने से शास्ति बाबत भी आदेश प्रदान कराना फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया पेरोकार सरकार की एकपक्षिय बहस पर मनन किया।

पत्रावली में सलंग्न नकल जमाबंदी सम्वत 2067 से 2070 तक भूमि का प्रतिवादी खातेदार है रिकार्ड और खनन कार्य करने से आवंटन शर्तो की उल्लघंना हुई है मौका पर्चा, से खनन कार्य होना स्पष्ट है। पटवारी हल्का ने भी अपने बयान में भी वादग्रस्त आराजी पर खनन कार्य होकर कृषि से अकृषि परिवर्तन होना स्पष्ट है। चुकि कृषि भूमि में खनन कार्य हुआ है अतः भूमि की खातेदारी से बिलानाम सरकार अभिलिखित किया जाना उचित है साथ ही बिना स्वीकृति खनन के संबंध में मौका पर्चा में स्थित क्षैत्र से निकाली गई खनन सम्पदा बाबत गंणना करा शास्ति क़राने की विधीनुसार कार्यवाही सम्पादित करे। तत्समय के संबंधित पटवारी के विरुद्व भी कार्यवाही अमल में लाई जावे। उक्तानुसार वादपत्र वादी डिक्री योग्य है।

16.01.18

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 177 रा0टि0एक्ट डिक्री किया जाता है। साथ ही ग्राम तिलस्वा स्थित आराजी नं0 534/1 रकबा 1 बीघा भूमि को बिलानाम सरकार अभिलिखित किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार को निर्णय की पालना हेतु लिखा जावे। डिक्री मुर्तिब हो।

आदेश आज दिनांक 16.01.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16.01.18

(प्रवीण कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया